

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 05/2025

तारीख दायर-12.02.2025

तारीख निर्णय-13.03.2025

1. श्री पदमा उर्फ बाबरू पिता लखमा मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।

.....वादी

बनाम

1. श्री भंमरू पिता रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
2. श्री मोहन पिता रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
3. श्रीमती रूपली पत्नी स्व०रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
4. श्रीमती वरदी बाई पुत्री रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
5. श्री वालिया पुत्र लखमा मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
6. श्री सवा पुत्र रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
7. श्रीमती हुडी बाई पुत्री रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
8. श्री गणेश पुत्र वाला मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
9. श्री नवलीया पुत्र हिरा मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
10. भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपरिस्थित- वादी की ओर से- श्री सुरेन्द्र चौबिसा

प्रतिवादी की ओर से- सरफराश खान

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कचुमरा पटवार क्षेत्र लकुकालेवा तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 127 व पुराना 121 के आराजी नम्बर 161 रकबा 4.9896 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 169 रकबा 1.5768 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 186/3 रकबा 2.2248 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 43 रकबा 0.6048 किता 04 कुल रकबा 9.3960 हैक्टेयर, इसी प्रकार अन्य खाता संख्या नया 125 व पुराना 119 में वर्णित आराजी नम्बर 162 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 191 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 194 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 195 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 197 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 199 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 200 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 201 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 204 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 205 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209



उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर

रकबा 0.0108 हैक्टेयर, किता 14 कुल रकबा 1.0692 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात
मि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादी एवं प्रतिवादीगण
संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा
को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके
पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को
भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने
में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना
आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं
प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन
किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन
मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।



प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण
सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने
से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में
अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान
अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही
कथन कहे हैं, जो अपने वादपत्र में अंकित किये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त
खातेदार हैं। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन
चाहते हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया
जाता है। मौजा कचुमरा पटवार क्षेत्र लकुकालेवा तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 127
व पुराना 121 के आराजी नम्बर 161 रकबा 4.9896 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 169 रकबा 1.5768
हैक्टेयर, आराजी नम्बर 186/3 रकबा 2.2248 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 43 रकबा 0.6048 किता
04 कुल रकबा 9.3960 हैक्टेयर, इसी प्रकार अन्य खाता संख्या नया 125 व पुराना 119 में वर्णित
आराजी नम्बर 162 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी
नम्बर 191 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर
194 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 195 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 197
रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 199 रकबा 0.
0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 200 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 201 रकबा 0.0972
हैक्टेयर, आराजी नम्बर 204 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 205 रकबा 0.0864 हैक्टेयर,
आराजी नम्बर 209 रकबा 0.0108 हैक्टेयर, किता 14 कुल रकबा 1.0692 हैक्टेयर भूमि का
पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स
एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त
किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारी
लसाडिया जिला सलाम्बर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय
मुनाया गया ।



उपखण्ड-अधिकारी
लखाडिया जिला सलम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लखाडिया जिला सलम्बर (राज.)

यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

वाद डिकी

श्री पदमा उर्फ बाबरू पिता लखमा मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर।

.....वादी

बनाम

1. श्री भंमरू पिता रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
2. श्री मोहन पिता रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
3. श्रीमती रूपली पत्नी स्व०रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
4. श्रीमती वरदी बाई पुत्री रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
5. श्री वालिया पुत्र लखमा मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
6. श्री सवा पुत्र रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
7. श्रीमती हुडी बाई पुत्री रोडिया मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
8. श्री गणेश पुत्र वाला मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
9. श्री नवलीया पुत्र हिरा मीणा निवासी कचुमरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
10. भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री सुरेन्द्र चौबिसा
प्रतिवादी की ओर से- सरफराश खान



पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 13.03.2026 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा कचुमरा पटवार क्षेत्र लकुकालेवा तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 127 व पुराना 121 के आराजी नम्बर 161 रकबा 4.9896 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 169 रकबा 1.5768 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 186/3 रकबा 2.2248 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 43 रकबा 0.6048 कित्ता 04 कुल रकबा 9.3960 हैक्टेयर, इसी प्रकार अन्य खाता संख्या नया 125 व पुराना 119 में वर्णित आराजी नम्बर 162 रकबा 0.1296 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 190 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 191 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 193 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 194 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 195 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 197 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 198 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 199 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 200 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 201 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 204 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 205 रकबा 0.0864 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209 रकबा 0.0108 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)

किता 14 कुल रकबा 1.0692 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता की दोनो पक्षकारों के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें ।



उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)